कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में, पत्रांक– 1375 / 12-1 :देहरादून:दिनांकः 11 जनवरी, 2024

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद–अल्मोड़ा में कठपुड़िया–कलोडिया(कतुनिया) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.536 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(Proposal No-FP/UK/ROAD/16999/2015)

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/262/2016/एफ0सी0/2162 दिनॉक 27.01.2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1578/12–1(2) दिनांक 20.12.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	1 शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि (निजी भूमि) अधिग्रहित कर लिया गया है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
3	प्रतिपूरक वनीकरण: क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1072 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव / ड। तंजम वित 1०072 ीं तमं (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	3. शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू 3,61,461.00 (तीन लाख एकसठ हजार चार सौ एकसठ मात्र) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है **(संलग्नक नं0 3)**। शेषशर्त आपके प्रभाग से संबंधित है।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं व्ववतकपदंजमे अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एंव क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	शर्त संख्या–3(ख) आपके प्रभाग से संबंधित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आव''यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना	4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना

	के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.999 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	5. शर्त संख्या–5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 4,52,920.00(छः चार लाख वावन हजार नौ सौ वीस) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन वैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्नहै **(संलग्नक नं0 5)**।
	ख) वि"ोषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त रा"ा, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–5(ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्वन्धित वचनवद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेपित है **(संलग्नक नं0 4)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 66 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में 157 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
7	परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रू 8,14,381.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न **(संलग्नक सं0 3)**।

8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	10. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	10. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	11. शर्त संख्या–11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	12. शर्त संख्या–12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	13. शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	14. शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	15. शर्त संख्या–15 के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया	16. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(वचनबद्धता प्रमाण पत्र**

	जाएगा।	**संलग्न है)**
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	17. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	18. शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	19. शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	20. शर्त संख्या–20 के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	21. शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	22. शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**

23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	23. शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**
24	अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	24. शर्त संख्या–24 के अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)**

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1375 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9/c

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1578 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20/12/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोड़ा में कठपुडिया कलोडिया (कतुनिया) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.536 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/16999/2015।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/262/2016/एफ0सी0/2162 दिनांक 27.01.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक I/46978/2023 दिनांक 11.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

सं० अ०/प्रभारी अल्मोड़ा
आ० का० के०)

27-12-23

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि संरक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
2672
पंजी0 सं0 12-1
पत्रावली
दिनांक 1-1-24

03 DEC 2023

File No. लीज-12-1022/2/2023-DCF ALMORA-FOREST DEPT (Computer No. 42729)

I/46978/2023

I/46978/2023

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05062-230066, फैक्स: 05062-232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक / अल्मोड़ा दिनांक 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः जनपद–अल्मोड़ा में कठपुड़िया–कलोडिया(कतुनिया) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.536 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**(Proposal No-FP/UK/ROAD/ 16999/2015)**

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/262/2016/एफ0सी0/2162 दिनॉक 27.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	1 शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि(निजी भूमि) अधिग्रहित कर लिया गया है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	प्रतिपूरक वनीकरणः क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1072 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव / CA rate for 1.072 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	3. शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रू 3,61,461.00 (तीन लाख एकसठ हजार चार सौ एकसठ मात्र) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)। प्रभाग स्तर से संबंधित वचनबद्धता संलग्न कर दी गयी हैं।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एंव क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	शर्त संख्या–3(ख) के क्रम में वृक्षारोपण हेतु बिलौरी क0सं0 4 में अवनत आरक्षित भूमि चयनित की गयी हैं, व क्षेत्र के डिजिटल मैप व पौधारोपण योजना संलग्न कर दी गयी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा। (वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 566 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0	5. शर्त संख्या–5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 4,52,920.00(छः चार लाख बावन हजार नौ सौ बीस) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 5)।

Generated from eOffice by Nandi-Khanna, Nandi_Khanna_AO, ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 11/12/2023 03:03 pm

/46978/2023

/46978/2023

	(Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.999 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–5(ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है(संलग्नक नं0 4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 66 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में 157 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रू 8,14,381.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 3)।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पेरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	10. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिये गये दिषानिर्देषों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिष्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	10. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	11. शर्त संख्या–11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निष्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	12. शर्त संख्या–12 के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	13. शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	14. शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	15. शर्त संख्या–15 के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	16. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	17. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	18. शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	19. शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिषानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	20. शर्त संख्या–20 के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	21. शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	22. शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निरतारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निरतारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

Generated from eOffice by Nandi Khanna, Nandi_Khanna_AO, ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 11/12/2023 03:03 pm

23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	23. शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	24. शर्त संख्या–24 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार 4–4 प्रतियों में।

भवदीय,

Signed by Deepak Singh
Date: 11-12-2023 13:33:21
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्रांकः– / तददिनांक

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Generated from eOffice by Nandi Khanna, Nandi_Khanna_AO, ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 11/12/2023 03:03 pm

बिन्दु सं0......।

<u>वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि इस भूमि की भौतिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

सहायक अभियंता,
ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............2

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि(निजी भूमि) अधिग्रहित कर लिया गया है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 17-02-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
PIF/Application No.	6116999279
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/262/2016/FC
Address.	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepdalmora@rediffmail.com 7533877888 5962-2320033
Amount(In Rs)	814381/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount In Words:Eight Lakh Fourteen Thousand Three Hundred and Eighty-One Rupees Only

17.2.22

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies ma

Note:After making the required payment through cha then kindly mail a copy of your challan with transacti Email: epurse@unionbankofindia.com

AA

AA 720784

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

बिन्दु सं०-3(क)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0 16999/2015 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 क के अनुपालन मे सी0ए0 क्षेत्र बिलौरी आरक्षित कक्ष संख्या 04 (सोमेश्वर राजि)में जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया–कलोडिया मोटर मार्ग का निर्माण

Scale 1:20000

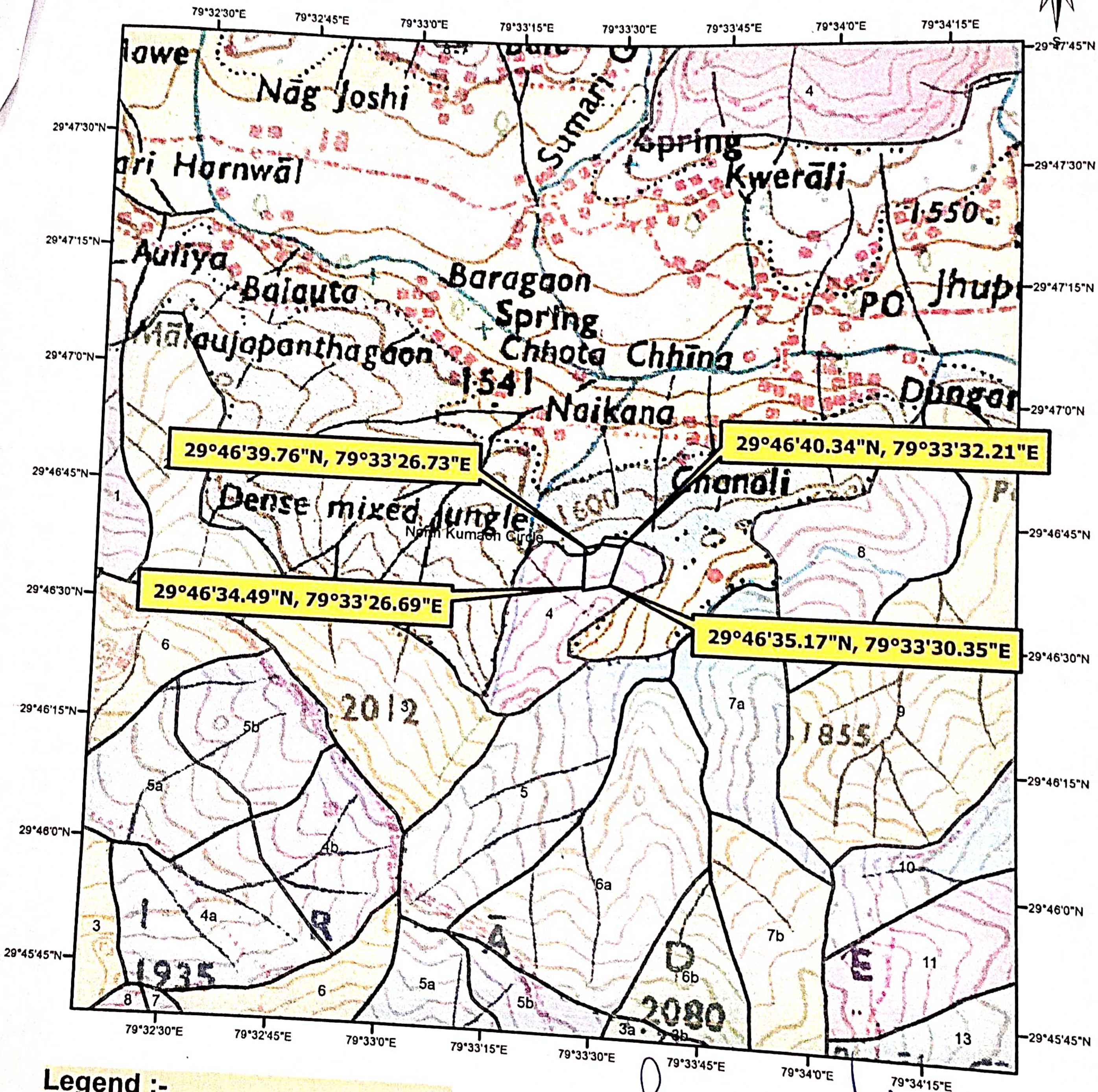

Legend :-

Ca Area(2.00 ha)Bilori RF compart No 4

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी
सोमेश्वर
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया-कलोड़िया मोटर मार्ग का निर्माण

Scale 1:20000

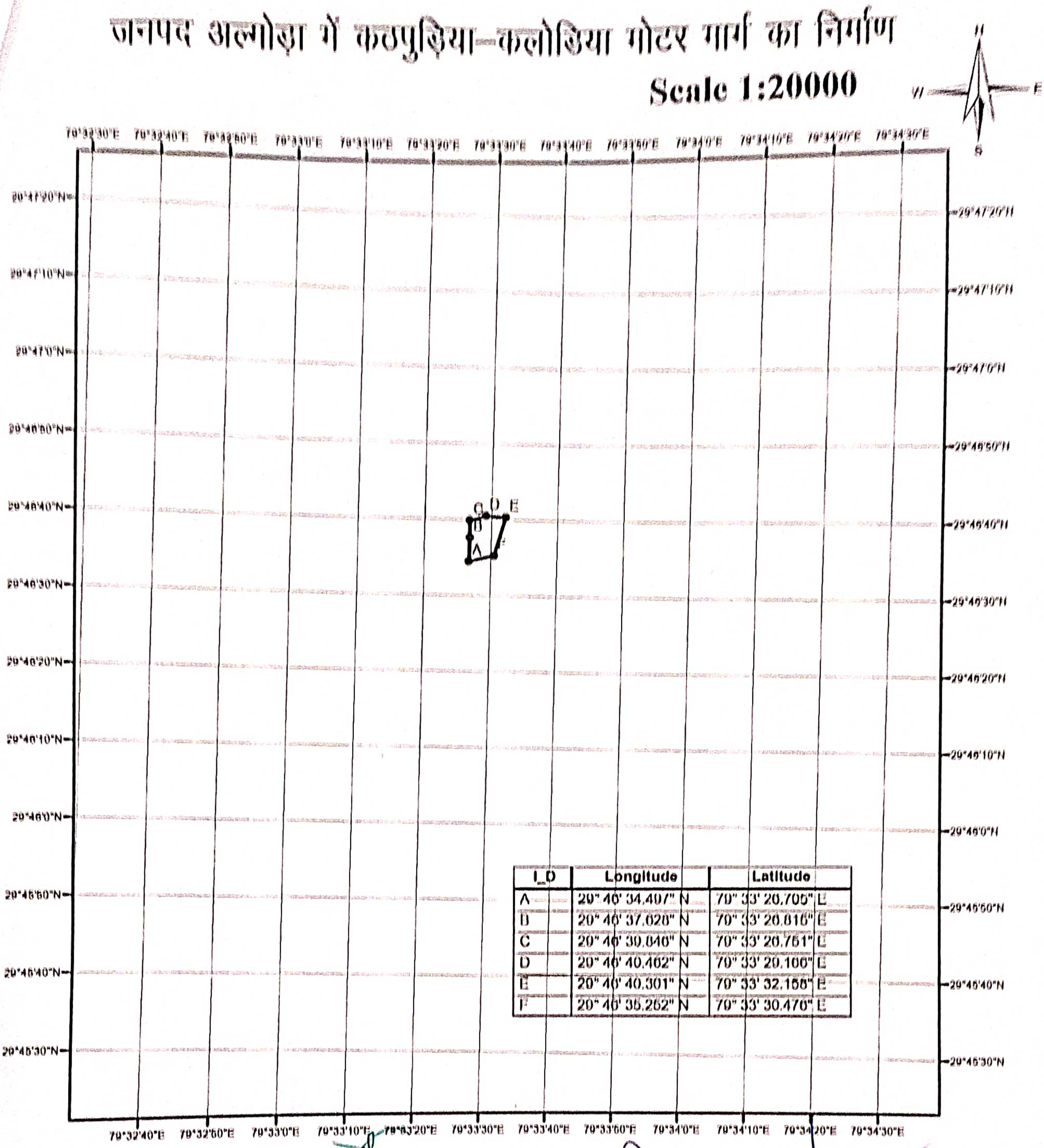

I_D	Longitude	Latitude
A	29° 46' 34.497" N	79° 33' 20.705" E
B	29° 46' 37.628" N	79° 33' 20.816" E
C	29° 46' 39.646" N	79° 33' 20.751" E
D	29° 46' 40.462" N	79° 33' 20.106" E
E	29° 46' 40.301" N	79° 33' 32.156" E
F	29° 46' 35.262" N	79° 33' 30.470" E

Legend :-

- GPS
- Ca Area(2.00 ha)Bilori RF compart No 4

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी
सोमेश्वर
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना का विवरण:- जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया से कलौड़िया तक मोटर मार्ग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

वृक्षारोपण स्थल का नाम- बिनौरी आरक्षित वन कक्ष सं0 4 (2.00 हे0) सोमेश्वर वन क्षेत्र
रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या 1072 पौध

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.000	है0	147.00	294.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	2.000	है0	887.00	1774.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग) 84 घन मी0 प्रति है0X 2.00	168.00	घन मी	478.00	80304.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान	2.000	है0	11700.00	23400.00
5	गढ्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	1072	पौध	11.14	11942.08
6	निरीक्षण वटिया बनाना	2.000	है0	737.00	1474.00
7	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	1072	पौध	8.70	9326.40
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	2.000	है0	400.00	800.00
9	अन्य कार्य	2.000	है0	30000.00	60000.00
	योग प्रथम चरण -				**189314.48**

द्वितीय चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	योग
1	गढ्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1072	पौध	1.75	1876.00
2	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	1072	पौध	1.75	1876.00
3	पौध ढुलान कार्य	1072	पौध	9.70	10398.40
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	1072	पौध	3.13	3355.36
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	1072	पौध	1.15	1232.80
6	खाद व दवा पर व्यय	2.000	है0	352.00	704.00
7	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (8 माह)	2	है0	7235	14470.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत				
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी,सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डॉक्यूमेटेशन आदि कार्य	2.000	है0	700.00	1400.00
10	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	25000.00	50000.00
	योग द्वितीय चरण -				**87262.56**
	योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				**276577.04**

वृक्षारोपण तृतीय वर्ष का रख-रखाव

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई		इकाई दर (रू0)	योग
1	तृतीय वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योग:-(तृतीय वर्ष रख रखाव)				**11150.00**

	वृक्षारोपण चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योगः–(चतर्थ वर्ष रख रखाव)				**11150.00**
	वृक्षारोपण पंचम वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पॉचवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योगः–(पांचवे वर्ष रख रखाव)				**11150.00**
	वृक्षारोपण छटे वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छटे वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योगः–(छटे वर्ष रख रखाव)				**11150.00**
	वृक्षारोपण सातवें वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योगः–(सातवे वर्ष रख रखाव)				**11150.00**
	वृक्षारोपण आठवें वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवे वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योगः–(आठवे वर्ष रख रखाव)				**11150.00**

	वृक्षारोपण नवें वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	4100.00	8200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य(मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	500.00	1000.00
	योगः–(नवम वर्ष रख-रखाव)				**11150.00**
	वृक्षारोपण दसवें वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	2.000	है0	2200.00	4400.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	2.000	है0	350.00	700.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	2.000	है0	225.00	450.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	2.000	है0	400.00	800.00
3	अन्य कार्य (मृदा एवं जल संरक्षण कार्य)	2.000	है0	242.00	484.00
	योगः–(दसवें वर्ष रख रखाव)				**6834.00**
				कुल योग	361461.0

वन क्षेत्र अधिकारी
सोमेश्वर
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया से कलोडिया तक मोटर मार्ग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित बिलौरी आरक्षित कक्ष सं0 4 की 2.00 है0 (सोमेश्वर वन क्षेत्र) आरक्षित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

G. Ay
वन दरोगा,

वन क्षेत्राधिकारी
सोमेश्वर,
सोमेश्वर वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा
उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

बिन्दु सं0............4

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............5

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............5

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पेज सं0____8

[illegible] प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] से अधिक का [illegible] नहीं किया जायेगा। [illegible] की कटाई से आने [illegible] का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............8

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............10

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............12

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पृष्ठ सं.......13

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की [illegible] के लिए [illegible] नहीं [illegible] जाएगा।

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य [illegible],
[illegible]।

अधिशासी अभियंता,
ग्रामीण कार्य [illegible],
[illegible]।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

[illegible] प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य, [illegible],
[illegible]

अधिशासी अभियंता,
ग्रामीण कार्य, [illegible],
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

बिन्दु सं0............1

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निषादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं०........।

[illegible] प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस भूमि का उपयोग परियोजना के [illegible] के [illegible] प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............20

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–थ्ब दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0..........

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायाल आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............24

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।